जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण वाद सं0– 15/2016–17

अभिहित पदाधिकारी–सह–अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

–बनाम–

Deepak Kumar Agrawal S/o Shri Mahabir Prasad Agrawal, M/s Om Food Products, Rajeev Path, Near Moon City, Dimna Road, Jamshedpur

आदेश

प्रश्नगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण वाद सं0–15/2016–17 अभिहित पदाधिकारी–सह–अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक–204 दिनांक 21.07.2016 से उद्भूत है एवं जिसके तहत उनके द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन, अभियोजन स्वीकृत्यादेश, विश्लेषण प्रतिवेदन प्रपत्र–VA, VI में अभियुक्तों को प्रेषित नोटिस, क्रय प्रतिवेदन एवं खाद्य विश्लेषक का प्राप्ति रसीद आदि समर्पित करते हुए यह प्रतिवेदित किया गया है कि अभियुक्तगण क्रमशः Deepak Kumar Agrawal S/o Shri Mahabir Prasad Agrawal, M/s Om Food Products, Rajeev Path, Near Moon City, Dimna Road, Jamshedpur को **मिसब्राण्डेड चनाचूर** खाद्य सामग्री की बिक्री में संलिप्त है, बताते हुए एवं उसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा–47, 48 एवं 52 का उल्लंघन मानते हुए अपराध का संज्ञान लेते हुए अधिनिर्णयन का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत प्रस्ताव के समग्र समीक्षोपरान्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली, 2011 के नियम–3.1.1(6) के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा–68 के अन्तर्गत अधिनिर्णयन के निमित प्रतिवादीगण को जुर्म के प्रकार, अधिनियम की धारा के उल्लंघन आदि का जिक्र करते हुए कारणपृच्छा के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोटिस निर्गत किया गया। जिसके अनुपालन में प्रतिवादी द्वारा अपना कारणपृच्छा दिनांक 06.09.2016 को दाखिल किया गया।

प्रतिवादी द्वारा अपने ऊपर लगे आरोप को नकारते हुए कारणपृच्छा में कहा है कि खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा चनाचूर का नमूना विश्लेषण हेतु संग्रह किया गया तथा खाद्य विश्लेषक द्वारा विश्लेषण के द्वारा नमूना को मिसब्राण्डेड इसलिए बताया गया क्योंकि पैकेट के लेबल में बेच नम्बर, कोड नम्बर एवं लोट नम्बर अंकित नही था। उनका कहना है कि उनपर लगाये गये आरोप बेबुनियाद है क्योंकि नियमानुसार लेबल में सभी विस्तृत रूप अंकित था। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत कारणपृच्छा में यह भी उल्लेख किया गया है कि खाद्य विश्लेषक द्वारा समर्पित प्रतिवेदन तबतक विश्वासयोग्य नहीं है जबतक अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त नमूना के दूसरा पैकेट जॉच हेतु सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नही किया जाता है। उनका यह भी कहना है चूँकि यह मामला मात्र मिसब्राण्डेड की है मिलावटी का नही अतः यह रद्द करने योग्य है। प्रतिवादी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है चूँकि नियमानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी एवं खाद्य विश्लेषक का नियुक्ति नहीं हुआ है, इसलिए खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विश्वास नही किया जा सकता। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत कारणपृच्छा को स्वीकार करते हुए इस कार्यवाही को समाप्त किया जाय।

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत कारणपृच्छा में अंकित तथ्यों के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा चनाचूर क्रय का प्राप्ति रसीद, अभियुक्तों को भेजा गया नोटिस विहित प्रपत्र में खाद्य विश्लेषक का जॉच प्रतिवेदन

आदि के साथ अभियोजन आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रतिवादीगण को **मिसब्राण्डेड चनाचूर** बेचने का दोषी पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–47, 48 एवं 52 का उल्लंघन है, जिसके तहत दोषी व्यक्तियों को 3,00,000/ (तीन लाख) रूपये अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान है।

उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत कागजातों एवं तथ्यों की समग्र समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि एक और अभियोजन पक्ष द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 एवं खाद्य सुरक्षा नियमावली–2011 में निहित प्रावधानों का अनुसरण करते हुए अपने अभियोजन के समर्थन में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है वहीं प्रतिवादी के द्वारा बगैर कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये आरोप को नकारने से संबंधित आधारहीन तथ्यों को कारणपृच्छा में समावेशित किया गया है।

अतः अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिवादी क्रमशः Deepak Kumar Agrawal S/o Shri Mahabir Prasad Agrawal, M/s Om Food Products, Rajeev Path, Near Moon City, Dimna Road, Jamshedpur के विरूद्ध **मिसब्राण्डेड चनाचूर** बेचने संबंधित लगाये गये आरोप उपरांकित तथ्यों के आधार पर सत्य प्रमाणित होता है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा–47, 48 एवं 52 का उल्लंघन है। न्याय निर्णय में प्रश्नगत अधिनियम के धारा–49 में सन्निहित दण्ड अधिसेपन के लिए निर्धारित सामान्य प्रावधानों को दृष्टि पथ में रखते हुए एवं प्रथमवार अपराधिक कार्य करने के कारण प्रतिवादीगण को 25,000.00 (पच्चीस हजार) रूपये का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि वे अधिरोपित अर्थदण्ड में सन्निहित राशि को "न्याय निर्णयन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर" के पदनाम से कॉस डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमशेदपुर में अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में 15(पन्द्रह) दिनों के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इस आदेश की प्रति खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली–2011 के नियम 3.1.2 (6) में अंकित प्रावधानों के तहत प्रतिवादीगण एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को उपलब्ध कराया जाय।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य कार्यो में व्यस्तता के कारण आदेश ससमय पारित नही किया जा सका।

(लेखापित एवं संशोधित)

8.12.17
उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

8.12.17
उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

vide memo no 2048(B) dt 11/12/17 to both parties

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2023.01.24 17:11:31 +05:30
Location: 192.168.1.21